



# CCL

Fuelling Sustainable Growth

CENTRAL COALFIELDS LTD.

## सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम / कोल इंडिया लि. की एक अनुषंगी कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, राँची 834 001 (झारखण्ड)

CIN : U10200JH1956GOI000581

अधिकारी स्थापना विभाग / Executive Establishment Deptt

फोन : (0651) 2360695 / Extn. 5144, ईमेल : gmee.ccl@coaiindia.i

वेबसाइट : www.centralcoalfields.in

No. महाप्रबंधक(अधि-स्था)/प्रोन्नति/प्रणाली/ई4-ई5/25/ 2039-65

दिनांक: 03/02/2025

### कार्यालय आदेश

सी.आई.एल., कोलकाता द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या CIL/C5A(CC)/Prom.E4-E5\_Sys/2024/B-119 dated 31.01.2025 के आलोक में निम्नलिखित **उप-प्रबन्धक (प्रणाली)/ई4 ग्रेड** की प्रोन्नति **प्रबन्धक (प्रणाली)/ई5 ग्रेड** (वेतनमान रु. 80,000-2,20,000/-) के पद पर तत्काल प्रभाव से की जाती है एवं उन्हें अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर (जो उनके नाम के सक्षम दर्शायी गई है) पर योगदान देने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

S.N	Name	EIS No.	Place of Posting
1	Sudha Rani	90306556	System Deptt, CCL HQ
2	Ashokeshwer Godara	90340431	System Deptt, CCL HQ
3	Nabanita Das	90338427	System Deptt, CCL HQ
4	Meher Singh	90348202	System Deptt, CCL HQ


संबन्धित अधिकारी की प्रोन्नति उसी तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि से वे पदोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करेंगे।

पदोन्नति पर, उपरोक्त अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। वे आगे के कार्य के लिए **महाप्रबंधक(प्रणाली)** को रिपोर्ट करेंगे।

संबन्धित अधिकारियों को आदेश जारी करने की तारीख से **तीस(30) दिनों** के भीतर प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करना है अन्यथा पदभार ग्रहण न करने पर प्रोन्नति आदेश रद्द किया जा सकता है।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिनों में PRIDE भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति से किया जाता है।

  
(अंकुर गौतम)

उप-प्रबन्धक (कार्मिक-अधि.स्था.)

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक(तकनीकी/संचालन)/निदेशक(परियोजना एवं योजना)/ निदेशक(कार्मिक)/निदेशक (वित्त), सीसीएल, रांची।
2. सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
3. निदेशक (कार्मिक) के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
4. महाप्रबंधक(कार्मिक), सीआईएल, कोलकाता।
5. महाप्रबंधक (प्रणाली)/(सतर्कता) /(अधि. स्था.)/(प्रशासन)/(एचआरडी)/( वित्त), सीसीएल, रांची।
6. मुख्य प्रबंधक/ वरीय - प्रबन्धक (वित्त - ईपीआर)/( स्था.), सीसीएल, रांची।
7. उप-प्रबन्धक/प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था.)/, सीसीएल, रांची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।
8. उप-प्रबंधक (वित्त - सीएमपीएफ), सीसीएल, रांची।
9. सहायक. प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था./सीआर), सीसीएल, रांची - कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
10. संबंधित अधिकारी।